eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

संसदीय मूल्यों का पतनः भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में

[1]शिखा ओझा
[2]प्रो0 रिपु सूदन सिंह
[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ
[2]राजनीति विज्ञान विभाग, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0

Received: 20 Jan 2023, Accepted: 28 Jan 2023, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2023

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र में विश्व के विभिन्न देशों में अपनी शासन व्यवस्था के कुशलतम ढंग से संचालन हेतु पृथक पृथक शासन प्रणालियां संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अर्द्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली, साम्यवादी, पूँजीवादी, लोकतंत्रीय, अधिनायकवादी, संघात्मक, एकात्मक शासन प्रणाली भिन्न भिन्न देशों में प्रचलित है।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि निकाय के रूप में, विधि निर्मात्री संस्था शासन की जबाबदेयता सुनिश्चित करने, विभिन्न मुद्दों पर बहस करने का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है, भारत में औपनिवेषिक शासकों की वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली (संसदीय शासन प्रणाली) को अपनाया गया, इतना कहना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि प्रतिनिध्यात्मक (गणतंत्रात्मक) शासन का मूल आधार भारत के वैदिक ग्रंथों (ऋग्वेद, अथर्ववेद) में गणराज्यों की सभा, समितियां, और गणपति के रुप मे विघमान था, जो आधुनिक समय में क्रमशः संसद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के रूप में विद्यमान है, भारत में विद्यमान संस्थाएं भारत की जमी में विकसित हुई, स्वदेषी अनुभव लिच्छिवी, कपिलवस्तु, पावा, कुषीनगर, निम्न गणराज्यों का रहा है। आज संसद जो भारत की संवैधानिक संस्था जनता द्वारा चुने गये जन प्रतिनिधि जनता की आवाज को सदन में अभिव्यक्ति देने, जन हित से संबंधित विधि बनाने, जनता की आवाज को बुलंद करने का एक सर्वोत्तम जरिया है, कोई भी संस्था हो संवैधानिक या गैर संवैधानिक, निजी या सार्वजनिक सभी संस्थाओं के अपने कुछ निहित मानक, मूल्य व सिद्धांत होते हैं, यदि संस्था अपने मानक, मूल्यों का सुदृढता से पालन करते हैं, तो इसमें उस संस्था की सफलता छुपी होती है, जनता का विश्वास, सहमति का निर्माण व विकास होने के साथ वैधता बढ़ती है, साथ ही लोकतंत्र मजबूत होता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के शुरूआती दौर में संसद में संसदीय गतिविधि, संसदीय कार्यवाही का संचालन मर्यादित, नैतिक, अनुशासित, तरीके से होते हुए, सभ्य मर्यादित शब्दों का प्रयोग, डटकर विपक्ष की मजबूत भूमिका के साथ स्वस्थ आलोचना होती थी जिसमें स्वस्थ वैचारिक विमर्श, तर्क वितर्क, वाद–प्रतिवाद होता था, जिसका आधार मत भेद था मन भेद नहीं, किंतु आज सदन में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल, अनैतिक व्यवहार, मिर्च छिड़काव, कुर्सी तोड़ना, सशक्त विपक्ष का अभाव, अतार्किक वाद विवाद ने स्थान ले लिया, जनता के हितों के प्रतिनिधित्व का स्थान संकीर्ण हितों ने बना लिया, यह संसदीय मूल्यो के ह्रास को व्यापक स्तर पर प्रतिबिंबित करता है, प्रस्तुत शोधपत्र संसदीय मूल्यों का ह्रास भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में इसके कारणों, प्रभावों, उपायों का उल्लेख करता है।

मुख्य शब्दावली– संसद, संसदीय मूल्य, भारतीय लोकतंत्र, जनप्रतिनिधि, पारदर्शिता, जबाबदेयता, संसदीय कार्यवाही।

Introduction

"लोकतंत्र" जनता का शासन, जनता की सर्वोच्चता का परिचायक है, जिसकी उत्पत्ति एथेंस से मानी जाती है, जो ग्रीक भाषा के मूल शब्द **डेमोस** और **क्रेसी** से है, **डेमोस** का तात्पर्य **जनसाधारण से है**, वही क्रेसी का पर्याय **शासन से है**, अर्थात लोकतंत्र का अर्थ **जनता का शासन** है जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करें तो भारत में लोकतंत्र का उदय पूर्व वैदिक काल से ही हो गया था, गणतंत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद[1], अथर्ववेद, और अन्य वैदिक ग्रंथों में अनेकों बार हुआ है, साथ ही सभा और समिति का उल्लेख हुआ है, आत्रेय ब्राह्मण, पाणिनी के अष्टाध्यायी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र[2], महाभारत[3], अशोक स्तंभों के शिलालेखों समकालीन इतिहासकारों तथा बौद्ध[4] एवं जैन[5] विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों में तथा मनुस्मृति में इसके पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य है जो भारत में लोकतंत्र की उत्पत्ति के प्रमाणों को प्रतिबिंबित करते हैं। भारत में संविधान निर्माण के दौरान भारतीय संविधान निर्माता विश्व के विविध देशों के संबिधानों का सैद्धांतिक अध्ययन, व्यवहारिक अवलोकन करके अपने देश की ढांचों के अनुकूल ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया जिसकी जड़ें भारत में

———————————

[1]युवा स मारूतो गणस्तवेशरथें अनेद्दः शुभं यावाप्रतिस्कुतः ऋग्वेद 5, 61, 13
[2]कौटिल्य, अर्थशास्त्र
[3]महाभारत का शान्तिपर्व, अध्याय 107, 108
[4]बुद्धिस्ट इंडिया पृ 1, 2, 19
[5]आचारांग सूत्र (जैन ग्रंथ)

वैदिक ग्रंथों में सभा एक ग्राम संस्था के रूप में और समिति एक राजनीतिक संस्था के रूप में थी जिसमें राजा, मंत्री भाग लेते थे समिति में राज्य की समस्याओं पर वाद विवाद होता था जो आधुनिक संसद के रूप में विद्यामन है, यह स्पष्ट रूप से भारतीय संस्कृति की सभ्यता, सुदृढ़ता, संपन्नता, का सूचक है भारत में लोकतंत्र के जड़ की उपस्थिति, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त होना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है, लोकतंत्र का हमारे जीवन से घनिष्ट सरोकार है देश–काल और अन्य वजहों से पृथक–पृथक देशों में इसे पृथक पृथक रूप में अपनाया गया है, फिर भी सभी लोकतांत्रिक पद्धतियों में एक सामान्य विशेषता यह रही है कि – **"शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र जनता का अपने ऊपर अपने लिए अनुशासन है"।**

भारत में विभिन्न वर्गो, जातियों, धर्मो, और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टि से वृहत होने की वजह से भारतीय संविधान निर्माताओं को प्रतिनिधिध्यात्मक शासन ने आकर्षित किया ताकि सम्पूर्ण जन की आवाज सुनी जा सके, क्योंकी लोकतंत्र में संसद जन आकांछा की प्रतीक, जनता की आवाज को अभिव्यक्ति देने, प्रतिनिधित्व करने और जबाबदेय का सर्वोत्तम माध्यम है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

भारत के लोगों की पहली प्रतिनिधि संस्था संविधान सभा जिसका पहला अधिवेशन 9 दिसम्बर 1946 को हुआ, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने किया था, संविधान सभा के सदस्यों ने शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया, क्योंकि यह भारत के संदर्भ में अधिक कारगर था, इसका चयन करते वक्त भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व की जगह जवाबदेयता को महत्व दिया।

भीमराव अंबेडकर के कथनानुसार– "हमारा संविधान एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करता है, जिसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ हम **'एक व्यक्ति, एक वोट**' से लगाते हैं, हम यह भी मानते हैं कि हर सरकार अपने रोजमर्रा के कामकाज और एक खास अवधि के कामकाज दोनों के बारे में जबाबदेय होगी, जब वोटरों और मतदाताओं को उसके कामकाज के आंकलन का मौका दिया जाएगा"।

संविधान सभा में महावीर त्यागी ने कहा "हमारा लोकतंत्र इंग्लैंड के संसदीय लोकतंत्र और अमेरिका के गणराज्यीय लोकतंत्र का बेहतर स्वरूप है, और दोनों का मिश्रण है"।

लोकतांत्रिक शासन पद्धति सबसे उत्तम मानी जाती है, लोकतंत्र का मूल आधार सरकार के निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का होना है, प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन को जन सहमति की आवश्यकता होती है, संसद के माध्यम से भारत के नागरिक सरकार के निर्णय में भागीदारी और सरकार पर नियंत्रण स्थापित करनें में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते है, इस तरह से संसद हमारी शासन व्यवस्था और संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है। लोकतंत्र के कई रूप प्रचलित हैं एक आदर्श लोकतांत्रिक पद्धति में जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए किन्तु जनसंख्या के अत्यधिक विस्तार के साथ साथ बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में जनता का प्रत्यक्ष शासन की बागडोर सम्हालना संभव नहीं हो पाता, इसके लिए प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात व्यावहारिक हो जाती है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में मुख्य रूप से कही संसदीय शासन पद्धति और कहीं अध्यक्षीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, प्रस्तुत शोध पत्र भारत के परिप्रेक्ष्य में है, जहां संसदीय शासन पद्धति प्रचलित है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई होती है व्यवस्थापिका जन प्रतिनिधि का सदन है, शासन व्यवस्था का संचालन जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं करती है, विगत कई दशकों से कार्यपालिका की शक्तियों में बेतहाशा वृद्धि और संसदीय शासन पद्धति के मूल्यों में ह्रास के लक्षण दृष्टिगत हुए हैं, इससे शासन सत्ता का जनता के प्रति उत्तरदायित्व में ह्रास हुआ है।

विगत दशकों में – संसदीय मूल्य का ह्रास स्वतन्त्रता के पश्चात् विगत सात दशकों में संसदीय परम्परा और लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे उत्तरदायित्व, जनहित के प्रति प्रतिबद्धता, जवावदेयता जैसे मूल्यों का धीरे धीरे क्षरण हुआ है, जहां संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधि निर्माण की जिम्मेदारी संसद को दी गई है, वही लोकतन्त्र की ऐसी व्यवस्था में जनता अंतिम निर्णायक की भूमिका में है, **भारतीय लोकतंत्र में संसदीय मूल्यों के ह्रास** से भारतीय लोकतंत्र प्रभावित हुआ है भारत में लोकतंत्र के चार स्तंभों में एक मजबूत स्तंभ संघीय व्यवस्थापिका संसद है इसका उपबंध **भारतीय संविधान के भाग – 5, अध्याय 2–3, अनुच्छेद 79–123** के अन्तर्गत है।

2. संसदीय मूल्य का ह्रास : भारतीय लोकतंत्र– संसद जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संवैधानिक संस्था, निकाय है, जिसमें चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधि को चुनावी मैदान में उतारती है, जनता उन्हें वोट देकर अपने जन प्रतिनिधि के रूप में संसद में भेजती है, अप्रत्यक्ष रूप से अपने शासनाध्यक्ष का चुनाव करती है, ऐसे में नागरिक जिस जनप्रतिनिधि को अपना मतदान करती है, उसका नींव इस तथ्य पर आधारित होता है, कि संबंधित जन प्रतिनिधि संबंधित क्षेत्र विशेष की समस्याओं, जन हित मुद्दों से अवगत होगा, ऐसे में संसद में जनप्रतिनिधि, जनता के मांगों, हितों, आवश्यकताओं, चुनौतियों को जितनी निकटता से समझे रहते हैं, उतनी तीव्रता और गहनता, मजबूती के साथ जनता की आवाज को अभिव्यक्ति देते हैं, जवाबदेय होते हैं।

संक्षिप्त में संसदीय मूल्य – जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना, जन हितों के प्रति उत्तरदाई होना, जवाबदेयता, जन हितों के प्रति प्रतिबद्धता, जनसहभागिता, लोकतांत्रिक मूल्यों का सुदृढ़ता से पालन।

संसद लोकतंत्र का मंदिर है, इसके सदस्य सांसद इस मंदिर के पुजारी हैं, जिन पर संसदीय मूल्य परम्पराओं और गरिमा को सुरक्षित रखते की जिम्मेदारी है जनता अपनें जनप्रतिनिधि को चुनती है, ऐसे में यदि जनप्रतिधि संसदीय मूल्यों को ताख पर रखकर निजी **स्वार्थ, धन लोलुपता, भ्रष्ट आचरण, अपराध, और तर्कहीन अमर्यादित वाद–विवाद जैसे संसदीय मूल्यों का ह्रास** करने वाली विशेषताओं से युक्त हो जाएंगे तो भारतीय लोकतंत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा, संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण कर जिस संसदीय राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया, आज सभी को गर्व है, यदि स्वतंत्रता के बाद संसदीय व्यवस्था की अवस्थपना के शुरूआती दिनों पर दृष्टि डालें तो उन दिनों में **नेहरू – शास्त्री युग** भारतीय संसदीय इतिहास में संसदीय मूल्यों और गरिमा की उच्चता के संदर्भ में एक स्वर्ण युग माना जा सकता है पक्ष और विपक्ष दोनों में नैतिक मूल्यों से युक्त कद्दावर नेताओं की उपस्थिति रहती थी, ये राजनेता अपने वाद–विवाद की उच्च बौद्धिक स्तर युक्त शैली से संसद में एक आदर्श भूमिका निभाई, परन्तु इसके उतरोत्तर दशकों में **गुणवत्ता पूर्ण वाद–विवाद, तर्क युक्त प्रश्नोत्तर, मर्यादित शब्दावली और उच्च स्तरीय वाद–विवाद** में तीव्रता से कमी आयी, आज वे दिन शेष स्मृति भर के लिए रह गए हैं, जब कोई नेता खड़ा होकर सदन में बोलता था तो न केवल पूरा सदन सुनता था बल्कि तार्किक प्रश्न और इसके उत्तर दिए जाते थे, **पंडित नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, राजकुमारी अमृत कौर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य जे0 वी0 कृपलानी, रामनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी** आदि जैसे बहुत सारे नेता संसद की गरिमा बढ़ा रहे थे, ऐसे शानदार नोताओं की कमी आज सभी को खलती है, जिन्होने न केवल अपने अक्काट्य तर्को और वाग्पटुता से पूरे सदन को सम्मोहित किया, बल्कि इन्होंने सदन की गरिमा को शीर्ष पर स्थापित किया, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण है, जब संसद ने अपनी गरिमा, मूल्य, संस्कृति और स्वस्थ संसदीय परम्पराओं की रक्षा की है, इस तरह का पहला मामला **सन् 1951** में आया जब कांग्रेस पार्टी ने सांसद **एच.जी. मुद्राल** पर आरोप लगाया कि उन्होंने **बुलियन मर्चेंट एसोसिएषन** से अवैध तरीके से **1000 रूपए** लिए कांग्रेस अध्यक्ष और तत्कालीन **प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू** द्वारा लोकसभा अध्यक्ष से जांच की मांग की गई, जांच कमेटी ने **मुद्राल** को दोषी पाया और तत्काल संसद से निष्कासित कर दिया गया, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि – **"उनका यह कृत्य संसदीय गरिमा को आघात पहुंचाने वाला है, और इससे संसद के मूल्यों और मानदंडों का क्षरण होता है, वह अपने**

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

सदस्यों से इस तरह की अपेक्षा नहीं करते है" बीते दशकों से संसदीय मूल्यों में गिरावट को गहराई से महसूस किया गया, यह सिलसिला आगे आने वाले वर्षों में अधिक तेजी से बढ़ता चला गया, **11वीं लोकसभा** के बाद तो स्थिति नकारात्मक संकेत देने लगी। **डी पी मदन, मधुकर सरपोतदार** जैसे लोग चुनकर संसद आने लगे जिन पर अपराध के प्रकरण लंबित थे। **20वीं शताब्दी** आते आते यह ग्राफ तेजी से बढ़ता चला गया संसद की शोभा ऐसे लोग बढ़ाने लगे जिनके विरूद्ध हत्या के अभियोग थे, **उपदेष सिंह चौहान या आनन्द मोहन** जैसे लोग सांसद चुने गए जिनका अतीत मूल रूप से अपराध से जुड़ा था ऐसा लगता है कि जैसे संसद का गंभीर स्वरूप प्रभावित होने लगा है संसद, जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संवैधानिक संस्था है वह आज संकीर्णता, निष्क्रियता, भ्रष्टाचार, स्वार्थ और लोकलुभावन जैसे दुर्गुणों से अपने आप को बचाने में असफल सिद्ध हो रही है, दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे कृत्य जो संसदीय मूल्यों की अवनति के लिए जिम्मेदार हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं जिससे लोकतन्त्र की सुदृढ़ता पर भी सवाल खड़ें हो रहे हैं आज जिस तरह संसद में **'अनावश्यक शोरगुल तथा सारहीन बहसों, मिर्च छिड़काव, कुर्सी क्षतिग्रस्त करना, कागज के गोले फेंकना और गंभीर वाद –विवाद पर निद्रा लेना'** जैसी बातें सामने आई हैं कितना दुर्भाग्य पूर्ण कृत्य है, **महात्मा गांधी** अपनी किताब **'हिन्द स्वराज'** के **अध्याय–5** में संसद के संबंध में जो लिखा वह आज भी देखें जा सकते हैं कि – **"बड़े सवालों पर चर्चा जब संसद में चलती है तो उसके सदस्य पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं, वहीं कुछ सदस्य जोर जोर से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान , परेशान हो जाएं सदस्य अपने पक्ष से संबंधित मुद्दों पर अपने मत बिना सोचे समझे देते हैं या ऐसा करने के लिए बंधे होते हैं जितना पैसा और समय संसद चलने में खर्च हो जाते हैं उतना समय और पैसा अगर अच्छे काम करने में जनता के लिए खर्च हो तो जनता का उद्धार हो जाय"**[6]

2020 का शीतकालीन सत्र कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया था इस सेशन में पास हुए कई बिल बिना किसी चर्चा के ही पास कर दिए गए, **2021** में सम्पूर्ण मानसून सत्र के दौरान लोकसभा सिर्फ 21 घंटे ही चल पाई जो पूरे समय का सिर्फ 22 प्रतिशत ही है, कामकाज के तय घण्टों में से 74 घंटे 46 मिनट काम नहीं हो सका, इस दौरान कुल 96 घंटे कामकाज होना था।

संसदीय कार्यवाही के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कितने घंटे खर्च हुए[7]

काम	लोकसभा (घंटे में)	राज्यसभा (घंटे में)
सवाल – जवाब	5.9	4.3
विधायी कार्य	10.5	13.5
वित्तीय कार्य	0.2	0.1
गैर, विधायी कार्य	1.3	5.2
अन्य कामों में	3.5	6.2

Sources - prsindia.org

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

[6]महात्मा गांधी, हिन्द स्वाराज, अध्याय–5

[7]संसदीय कार्यवाही के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कितने घंटे खर्च हुए, **prsindia.org**

के औसतन सात दिन के भीतर वह पास हो गया, कुछ बिल तो पेश होने के अगले दिन ही पास कर दिए गए, 15वीं लोकसभा में 18 प्रतिशत बिल एक ही सेशन में पास हुए, 16वीं 2021 मानसून सत्र में कुल 20 बिल पेश हुए, इस हंगमेदार मानसून सत्र के दौरान कुल 15 बिल सदन में पास हुए, संसद में एक एक बिल पेश होने लोकसभा में 33 प्रतिशत, 17वीं लोकसभा में 70 प्रतिशत बिल पास हुए।

2021 मानसून सत्र में जितने बिल पास हुए हैं उनमें एक बिल पर औसतन 34 मिनट चर्चा हुई, कुछ बिल तो पेश होने के बाद महज पाँच मिनट के पश्चात पास भी हो गए, वहीं राज्यसभा में एक बिल पेश होने से पहले उस पर औसतन 46 मिनट चर्चा हुई, 127वां संविधान संषोधन बिल ऐसा बिल रहा, जिसके पास होने से पहले दोनों सदनों में 1 घण्टे चर्चा हुई, ये बिल 9 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया, करीब 8 घंटे की चर्चा के बाद 10 अगस्त को ये बिल लोकसभा से पास हुआ, इसके बाद राज्यसभा में भी 6 घंटे की चर्चा के बाद इसे 11 अगस्त को पास कर दिया गया 2021के मानसून सत्र में लोकसभा में 15 बिल बिना किसी चर्चा के पास कर दिए गए।

2021 के मानसून सत्र में संसद में पास हुए बिल – (मिनट में)[8]

बिल	लोकसभी में चर्चा (मिनट में)	राज्यसभी में चर्चा (मिनट में)
127वाँ संविधान संशोधन बिल	474	360
ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021	9	62
एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल	12	46
दिवाला और दिवालियापन संहिता (संषोधन) बिल, 2021	5	37
इनलैंड वेसल्स बिल	6	33
कराधान कानून संशोधन बिल	6	32
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल	5	23
एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल	14	17

स्रोत – prsindia.org

————————————

[8]2021 के मानसून सत्र में संसद में पास हुए बिल – (मिनट में), prsindia.org

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Issue 01, Jan 2023

2.1 सक्रिय विधायी जांच का अभाव – 2021 के मानसून सत्र में संसद में पास हुये बिल में 127वाँ संविधान संशोधन बिल में लोकसभी में 474 मिनट, राज्यसभा में 360 मिनट, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 में लोकसभा में 9 मिनट, राज्यसभा में 62 मिनट, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 12 मिनट लोकसभा में, 46 मिनट राज्यसभा में, दिवालिया संहिता संशोधन बिल 5 मिनट लोकसभा में, 37 मिनट राज्यसभा, इनलेण्ड वेसल्स बिल 6 मिनट लोकसभा में 33 मिनट राज्यसभा में, कराधान कानून संशोधन बिल 6 मिनट लोकसभा में, 32 मिनट राज्यसभा में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल 5 मिनट लोकसभा में 23 मिनट राज्यसभा में, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 14 मिनट लोकसभा में 17 मिनट राज्यसभा में बहस के बाद विधेयक पास हुए।[9] राज्यसभा और लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2021 भी मात्र एक सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विधेयक, 2021 को भी केवल तीन दिनों के भीतर पारित कर दिया गया था। संसद द्वारा त्वरित ढंग से कम से कम समय में विधेयक का पास होना स्वस्थ तार्किक बहस का अभाव, गुणवत्तापूर्ण विधिक जांच का अभाव, भारतीय संसदीय प्रणाली की दक्षता में कमी, संसदीय मूल्यों के ह्रास का परिचय देता है।

2.2 संसदीय समितियों की उपेक्षा –

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा एकत्रित आंकडों की माने तो 15वीं लोकसभा के दौरान संसद द्वारा विधेयकों को विभागीय समितियों को भेजे जाने की दर 71 प्रतिशत थी, जो कि 16वीं लोकसभा के दौरान घटकर मात्र 27 प्रतिशत रह गई और 17वीं लोकसभा के दौरान तो यह दर 11 प्रतिशत और भी कम हो गई, विभागीय समितियों के अलावा चयनित संसदीय समितियों और संयुक्त समितियों को भी किसी विधेयक को संदर्भित किए जाने की दर काफी कम है।

————————

[9]prsindia.org

2.3 असंसदीय शब्दों का प्रयोग, सदन में अभिव्यक्ति से वंचित किया जाना, संसदीय गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों के विरूद्ध – भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, वहीं संसद और अन्य विधायी निकायों में सांसदों और विधानसभाओं के सदस्यों के भाषण को विशेष रूप से **अनुच्छेद–105**, और **अनुच्छेद–194** के तहत संसदीय विशेषाधिकर के रूप में संरक्षित किया जाता है जो विधायकों और सांसदों का सदन में स्वतंत्र भाषण और विचार विमर्श की अखंडता की रक्षा करता है, ऐसे में किसी भी जन प्रतिनिधि को संसद में अभिव्यक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, जन प्रतिनिधि की आवाज को रोकना, इसका पर्याय – उन हजारों, लाखों मतदाताओं द्वारा दिए गए वोट, चुने गए जनप्रतिनिधि के माध्यम से जनता की आवाज, आवश्यकताओं, जरूरतों, समस्याओं, को दबाना, कुचलना, लोकतंत्र की हत्या करना है, आये दिन सदन में यह दृष्य देखने को मिल ही जाता है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, वहीं अभिव्यक्ति के नाम पर अमार्यादित, असंसदीय शब्दों का प्रयोग, संसदीय कार्यवाही

में व्यवधान डालना, सदन को निष्क्रिय करता है, यह उस सदन की अवमानना है, जिन लोगों की ओर से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है।

2.4 2019 लोकसभा चुनाव में आपराधिक गतिविधि में संलिप्त जन प्रतिनिधि (धनबल, बाहु बल का प्रयोग), एडीआर रिपोर्ट – 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म' की रिपोर्ट 2019 में आपराधिक मामलों से संबंधित सांसदों की संख्या पहले से अधिक बढ़ी है, जहां **16वीं लोकसभा 2014** में 542 सांसदों में से 185 अर्थात 34 प्रतिशत सांसद पर आपराधिक मामले लंबित थे वहीं **17वीं लोकसभा 2019** में 542 सांसदों (हलफनामा देने वाले सांसदों की संख्या) में 233 अर्थात 43 प्रतिशत सांसद के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है जो कि पहले से अधिक हैं इसमें भी 159 (29 प्रतिशत) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले जैसे हत्या, बालात्कार और अपहरण आदि दर्ज है।

रिपोर्ट के मुताबिक राष्टीय राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक हैं, जिसकें 303 सांसद में से 116, भारतीय राष्टीय कांग्रेस के 52 में से 29, जदयू के 16 में से 13, टीएमसी के 22 में से 9, बीएसपी के 10 में से 5 और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के 3 में से 2 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये उपरोक्त आंकड़े कई सवाल खड़े करते हैं कि चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को टिकट उनकी, योग्यता, दक्षता, गुणवत्ता, चारित्रिक उच्चता, निष्पक्षता, को आधार न बनाकर संबंधित उम्मीदवार कितना आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, इस आधार पर चुनावी टिकट का आवंटन होता है, उम्मीदवार का आपराधिक गतिविधि में लिप्त होना यह स्पष्ट है, कि बाहुबल के साथ वह धनबल से भी मजबूत होगा, ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार हेतु उसकी वित्तीय निर्भरता पार्टी पर अन्य सामान्य उम्मीदवार की अपेक्षा कम होगी, वह व्यापक रूप से चुनावी जीत हासिल करने हेतु, अनैतिक साधनों का प्रयोग करने में किंचित भयभीत नहीं होगा, यहां तक साम, दाम, दंड, भेद का प्रयोग करेगा, इस तरह के उम्मीदवार को टिकट देने में पार्टियां जरा भी नहीं हिचकिचाती, परिणामतः उक्त गतिविधियां राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देना, बल देना, संरक्षण देना है, स्पष्ट है, **ताकत (बाहुबल) और पैसा (धन बल) चुनाव की नियति तय करते हैं।** इससे संसदीय मूल्यों की अवनति और लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? 17वीं लोकसभा में 88 प्रतिशत सांसद पूंजीपति हैं, भाजपा के कुल सांसद में से 88 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं, कांग्रेस के कुल सांसद में से 84 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं, द्रमुक के कुल सांसद में से 96 प्रतिशत सांसद करोड़पति हैं, तृणमूल कांग्रेस के कुल सांसद में से 91 प्रतिशत सांसद, करोड़पति हैं, ऐसे ही अन्य दल के सांसदों के आंकड़े में भी करोड़पति सांसद हैं।[10] इस तरह जनसाधारण का सदन धनिकों का सदन बन गया है और संसद धनिकों की सभा बन गई है, आज जिस तेजी से धनिक वर्ग का राजनीति में आगमन हुआ है उसी तेजी से जनसाधारण का राजनीति में भागीदारी का स्तर घटता चला जा रहा है, अब यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या लोकतंत्र धनिक तंत्र में तो नहीं बदल रहा है?

———————————

[10]Loksabha elections 2019, Analysis of criminal background, financial, education, gender, any other details of winners, Association of Democratic Reform report (ADR) report, 2019

स्पष्ट रूप से, संसदीय मूल्य प्रभावित हो रही क्योंकि संसद एक जन प्रतिनिधि संस्था है, जहां सम्पूर्ण समाज के लिये विधायन किये जाते है, संसदीय मूल्यों में संसदीय नियम प्रक्रियाओं के साथ अपने व्यापक स्तर पर प्रतिनिधित्व, चुनाव, वर्ग समुदायों की आनुपातिक समुचित भागीदारी, सरकारी कार्यशैली पर संसदीय प्रभाव और बहुलवादी समाज और संस्कृति के बिम्ब संसद में दिखना भी शामिल है, जैसे समाज की संरचना और संस्कृति हो वैसे ही संसद में उसकी छाप हो क्योंकि संसद जनता की प्रतिनिधि संस्था है, अतः समाज के प्रत्येक वर्ग का सच्चे अर्थो में संसद में समुचित प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए, यदि ऐसा नहीं होगा तो संसद सम्पूर्ण समाज की प्रतिनिधि संस्था होने के बजाय मात्र कुछ विशिष्ट, अल्प, संभ्रांत और धनिक वर्ग की सभा बनकर रह जाएगी, लोकतंत्र में जनता कानून को उतना ही व्यापक स्तर पर स्वीकार करेगी जितना समुचित प्रतिनिधित्व संसद में प्राप्त होगा।

3. उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय संसदीय मूल्यों और संस्कृति के पतन के कारणों की वैज्ञानिक समीक्षा करते हुए इसे दूर करने के उपायों को खोजना, साथ ही संसदीय मूल्य और संस्कृति का संरक्षण और विकास करने वाले तत्वों का खोज करना है, जिससे संसदीय शासन का संचालन कुशलतम ढंग से हो सके।

4. संसदीय मूल्यों को सुदृढ़ करना –

4.1 संसदीय जांच –

आज संसद में संसदीय कार्यकाल कें दौरान विधेंयकों पर तार्किक बहस का स्थान अनावश्यक शोरगुल नें ले लिया, संसद को समयबद्व, नियमबद्व बनानें की आवश्यकता है, ताकि संसदीय कार्यवाही समयानुसार गुणवत्तापूर्ण ढग सें हो सके, संसदीय समय का दुरूपयोग न हो, और प्रश्नकाल को अनिवार्यता का जामा पहनाकर लगातार आयोजित किया जाना चाहिये, ताकि मंत्रियों को जवावदेय बनाया जा सके, संसद में शासन के सम्पूर्ण कार्यो, नीतियों, योजनाओं, विधेयकों हेतु निष्पक्ष जांच व अन्वेषण को आधार बनाकर विभिन्न विषयों, मुद्दों पर तार्किक विश्लेषण होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य बनाया जाए, साथ ही सांसदों को बिभिन्न मुद्दों की जांच करने, स्वतन्त्र बहस करनें के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जायें।

4.2 विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता :– संसदीय समितियों द्वारा विधेयकों की पर्याप्त जांच की जाए और जनता से भी प्रतिक्रिया लिया जाए इससे जनता के मतों, विचारों को समझने में मदद मिलेगी, जिससे जन हितों को केन्द्र में रखते हुए विधेयक बने, इससे संबंधित विधि निर्माण प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश बढ़ेगी।

4.3 संसदीय समिति में सुधार : – संसदीय स्थायी समितियां जिन्हें विधायी विशेषज्ञता में सुधार कें लिये बनाया गया था किन्तु वर्तमान में इन समितियों का स्वरूप उपेक्षित और अप्रासांगिक हो गया है, आवश्यकता है, संसदीय स्थायी समितियों को सशक्त करनें का ताकि शाषन सम्बंधी कार्यवाहियों पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित कर सकें, संसद में विधेयकों के प्रस्तुति के पश्चात जल्दबाजी में विधेयक पास न करके प्रत्येक विधेयक पर एक समिति द्वारा व्यापक विचार विमर्श किया जाए, तत्पश्चात प्रस्तुत विधेयक, कानून का रूप ले सके, इससे संसदीय समिति को मजबूती मिलेगी।

4.5 धनबल, बाहुबल, राजनीति अपराधीकरण पर नियंत्रण : — राजनीतिक दल द्वारा धन बल, बाहुबल, आपराधिक छवि से युक्त व्यक्ति को टिकट का आवंटन, उनके जीतने की संभावना के आधार पर देना राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा देना है, इस पर कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है, ताकि स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी छवि वाला व्यक्ति सदन में जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके।

4.6 विपक्ष की भूमिका को सशक्त बनाना : — विपक्षी दल के नेता एक लोकतांत्रिक सरकार में एक प्रमुख व्यक्ति होता है, जो सत्तारूढ़ दल के नीतियों और कार्यो की जांच करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें चुनौती देना शामिल है, क्योंकि वे सत्तारूढ़ दल को जबाबदेय बनाने और उन्हें नियंत्रण में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे में विपक्ष की भूमिका में मजबूती आवश्यक हो जाती है।

5. उपयोगिता और महत्व — प्रस्तुत शोध पत्र की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उपयोगिता है, सामाजिक परिवर्तन और शासन प्रणाली में गहरा संबंध होता है, संसदीय लोकतंत्र में जन प्रतिनिधि केवल विधि निर्माता ही नही माने जाते बल्कि समाज के दिशा—निर्धारण भी माने जाते हैं, इसलिए भारतीय संसदीय लोकतंत्र के कार्यप्रणाली में विद्यमान विसंगतियां समाप्त हो जाएं, तो इससे एक स्वस्थ और उत्कृष्ट समाज की नींव को मजबूती मिलेगी साथ ही संसदीय लोकतंत्र का आदर्श स्थापित हो सकेगा, भारत के संसदीय लोकतंत्र के संरक्षण और विकास के लिए यह शोध पत्र महत्वपूर्ण है, प्रस्तुत शोध पत्र अकादमिक क्षेत्र में राजनीति चिंतकों के लिए चिंतन के विषय क्षेत्र को व्यापक करने विभिन्न समस्याओं पर नए ढंग से विचार हेतु मास्तिष्क को झकझोरता है, इससे राजनीति विज्ञान का चिंतन क्षेत्र समृद्ध होगा।

6. संरचना — इसका क्षेत्र सामाजिक एवं राजनीतिक है, यह वैज्ञानिक प्रकृति का शोध पत्र है, इसमें विभिन्न प्रमाणिक पुस्तकों, पत्रिकाओं, राष्ट्रीय समाचार पत्र, सरकारी वेबसाइट, टेलीविजन पर लोकसभा टीवी चैनल पर वाद विवाद, राज्यसभा टीवी चैनल, संबंधित स्त्रोतों के आधार पर प्रस्तुत शोधपत्र, सैद्धांतिक रूप से अकादमिक और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार के रूप में व्यावहारिक रूप से उपयोगी है।

7. निष्कर्ष — प्रस्तुत शोध पत्र **'संसदीय मूल्यों का ह्रास, भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में'** की समस्या पर केन्द्रित है भारतीय लोकतंत्र संसदीय मूल्यों के ह्रास के जो लक्षण दृष्टव्य हो रहे हैं, वह संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, यह स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं, अतः संसदीय ढांचे में विद्यमान विसंगतियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए दूर किया जा सकता है, जिसके संबंध में उचित सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किया गया है।

शोध पत्र में निजी पूर्वाग्रहों, भ्रांत धारणाओं, गलत तथ्यों और आधारहीन मान्यताओं से बचते हुए एक वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, न्यायसंगत, संतुलित एवं वैज्ञानिक पक्षों का ध्यान रखते हुए शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान समय में लोकतन्त्र एवं संसदीय प्रणाली के मूल्यों, मानकों का तीव्र गति से ह्रास हो रहा है अपराधियों का राजनीतिकरण राजनीति का अपराधीकरण, संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग, बहस का गिरता स्तर, सांसदों की खरीद फरोख्त, चुनावों में धांधली आदि लोकतन्त्र एवं संसद के गिरते मूल्यों को प्रमाणित करता है, इसमें तथ्यों का विश्लेषण करने से जो निष्कर्ष निकल कर सामने आते

हैं, समस्या न तो लोकतंत्र में है, न संसदीय प्रणाली में बल्कि मूल समस्या हमारे नैतिक मूल्यों के कमी की है, जिसके कारण लोकतंत्र और जनप्रतिनिधि के नैतिक मूल्यों में गिरावट के कारण संसदीय मूल्यों को पूर्ण प्रतिष्ठा से नहीं देखा जा रहा, मानवीय मूल्यों के पतन के कारण परिणामतः लोकतान्त्रिक संस्थाओं का पतन होता है,

"संस्थाएं अमूर्त होती हैं, इन्हें मूर्त रूप देने का कार्य जनमत करती है"

मतदाताओं तथा निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों पर संसद तथा लोकतन्त्र का भविष्य आधारित होता है, यदि दोनों के नैतिक मूल्य उच्च हैं, तो निःसंदेह लोकतांत्रिक संस्थाओं का निष्पादन भी बेहतर होगा, वर्तमान में बढ़ता सत्ता, धन का लोभ समाज के साथ साथ इन राजनीतिक संस्थाओं के पतन का मुख्य कारण है, सरकार और जनता के बीच संसदीय लोकतंत्र में घनिष्ट तालमेल और संपर्क स्थापित होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

- युवा स मारूतो गणस्तवेषरथें अनेद्दः शुभं यावाप्रतिस्कुतः ऋग्वेद 5, 61, 13
- कौटिल्य, अर्थशास्त्र
- महाभारत का शान्ति पर्व, अध्याय 107, 108
- बुद्धिस्ट इंडिया पृ 1, 2, 19
- आचारांग सूत्र, जैन ग्रंथ
- महात्मा गांधी, हिंद स्वराज्य, अध्याय, 5
- 2021 मानसून सत्र में संसदीय कार्यवाही के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में व्यय समय, prsindia.org
- 2021 में मानसून सत्र के दौरान संसद में पास हुए बिल, (मिनट में) prsindia.org
- Loksabha elections 2019 Analysis of Criminal background Financial, Education, Gender and other details, (3 June 2020), Association of Democratice Reform report
- Austin, Granville, (1999), Working a Democratic Constitution: The Indian Expereince, OUP India.
- Austin, Granville, (1999), The Indian Constitution Comerstone of a nation, Oxford University Press, page no. 145-174, 180-195
- B.L. Shankar and Valerian Rodrigues, (2014), The India Parliament : A Democracy at work, New Delhi. Oxford University Press.
- B. Venkateswarlu, V Bhaskara Rao, (1987), Parliamentary Democracy in India, Mittal Publications, Page no. 19, 31, 63, 80.

- B.B. Jena, (1966) Parliament Committee in India, Scientific book agency. Page no. 21, 32.
- Laxmi Mall Singhvi, Subhash. C Kashyap, Jagdish P.Sharma, (1973), Parliamentary Committee in India, Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, Laxmi Book Store.
- Mehra.K. Ajay (2019), The Indian Parliament and Democratic Transformation, Routledge India.
- Tripathi, Vikash, (2013). Decline of Legislature An Assessment of the working of the Indian Parliament. Lambert Academic Publishing.
- डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : भारतीय संसद नई दृष्टि : लोकतंत्र समीक्षा